

छत्तीसगढ़ राज्य
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 160 / त.शा / फा.नं.535 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 10 रायपुर
प्रति,

दिनांक 11-01-11

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर

विषय:- निर्माण कार्यो के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में वित्त निर्देश 45/2010

संदर्भ:- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्र.-221/वित्त/ब-2/2010, दिनांक 29.12.2010

—00—

विषयांतर्गत वित्त निर्देश 45/2010 की छायाप्रति आपके अवलोकन एवं पालनार्थ संलग्न है। वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्यो के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली के अध्याय 2, धारा 2 का संदर्भ देते हुए निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन, तकनीकी मंजूरी एवं पर्याप्त बजट प्रावधान या उपलब्धता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

कृपया आप अपने परिक्षेत्र से संबंधित खंडों को इन निर्देशों से अवगत कराव एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी सावधानी पूर्वक आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

सहपत्र: उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियंता (मॉनी.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर
दिनांक


प्रमुख अभियंता द्वारा अनुमोदित

पृ.क. / त.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 10 रायपुर
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल रायपुर/दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर एवं विद्युत यांत्रिकी मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र: उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियंता (मॉनी.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर



OSR/PROJES/PIC/48108

14/1/2011

17/1/2011